भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

सं. 2020/सेफ्टी(डीएम)6/14 — नई दिल्ली, दिनांक 13.04.2020

महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं. एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी

मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम एवं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड
निदेशक, सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान

विषय: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय।
संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 25.03.2020 और 07.04.2020 के समसंख्यक पत्र।

गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर जारी दिशा-निर्देशों तथा उनसे संबंधित परिशिष्ट अनुपालन के लिए संदर्भाधीन पत्रों के तहत क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को अग्रेषित किए गए थे।

2. गृह मंत्रालय द्वारा उक्त विषय पर विभिन्न आदेश/पत्र और परिशिष्ट/शुद्धिपत्र जारी किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	पत्र/आदेश सं. एवं तारीख	विषय
1.	40-3/2020-डीएम-I(ए) दिनांक 10.04.2020	आदेश एवं 5वां परिशिष्ट
2.	40-3/2020-डीएम-I(ए) दिनांक 12.04.2020	प्रवासियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के संबंध में मुख्य सचिवों एवं प्रशासकों को गृह सचिव का अर्द्धशासी पत्र
3.	40-3/2020-डीएम-I(ए) दिनांक 12.04.2020	मुख्य सचिवों एवं प्रशासकों को गृह सचिव का अर्द्धशासी पत्र जिसमें व्यक्तियों और वाहनों के आवागमन से संबधित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को दोहराया गया है।

उपर्युक्त आदेशों/पत्रों को गृह मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. गृह सचिव ने क्रम सं. 3 पर उल्लिखित अपने पत्र में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को यह सूचित किया है कि रेलवे, एयरपोर्ट, सीपोर्ट और सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को अपने कर्मचारियों और ठेके के कर्मचारियों के लिए पास जारी करने के लिए पहले ही प्राधिकृत कर दिया गया है, जिसे राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

4. गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर यथा उपलब्ध और डाउनलोड किए गए अद्यतन "समेकित दिशा-निर्देश" इसके साथ संलग्न है।

5. कृपया उपर्युक्त उल्लिखित आदेशों/पत्रों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डिम्पी गर्ग)
कार्यपालक निदेशक/संरक्षा(एम)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त

COVID-19